गुना, मध्य प्रदेश में रोज़मर्रा की पुलिसिंग

CRIMINAL JUSTICE AND
POLICE ACCOUNTABILITY
PROJECT

मध्य प्रदेश के गुना जिले में

रोज़मर्रा की पुलिसिंग

लेखक:
मृणालिनी रवींद्रनाथ
महेश्वरी मवासे

अतिरिक्त शोध:
अन्वेष बाकी
आदित्य रावत
मुकुल राज
हिमांशु मेहरा
आसरा हामिद रशीद
महेश्वरी मवासे

डाटा एनालिसिस और विज़ुअलाइज़ेशन सपोर्ट:
मेघना यादव

कवर इलस्ट्रेशन्स:
मिया जोस

लेआउट:
ऋचा शुभांगी

अनुवादक:
मनीष शांडिल्य

आभार

यह रिपोर्ट विमुक्त जनजातीय समुदायों के सदस्यों और समूहों के पुलिसिंग (पुलिस कार्यप्रणाली) से जुड़े अनुभवों और इसकी आलोचनाओं के साथ हमारे दीर्घकालिक जुड़ाव का प्रतिफल है. यह विशेष रूप से पारधी समुदाय के साथ हमारे जुड़ाव पर आधारित है, जो गुना में पुलिस जवाबदेही की मांग के रोज़मर्रा के हमारे संघर्ष में शामिल रहे हैं.

यह रिपोर्ट विभिन्न व्यक्तियों और शुभचिंतकों के योगदान से समृद्ध हुई है. आदित्य रावत, अन्वेश बाकी और मुकुल राज ने इस शोध के लिए आंकड़ा संग्रह किया और आदित्य और अन्वेश ने कुछ प्रारंभिक विश्लेषण भी उपलब्ध कराए. हम विशेष रूप से अपने प्रशिक्षुओं, हिमांशु मेहरा और आसरा राशिद के आभारी हैं जिन्होंने डेटा सेट के विश्लेषण और इसके कोडिंग पर विशेष ध्यान दिया. मेघना यादव की डेटा विज़ुअलाइज़ेशन संबंधी समीक्षा एवं अंतर्दृष्टि और निहारिका पंडित के संपादकीय सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं. कवर इलस्ट्रेशन के लिए हम मिया जोस और डिजाइन के लिए हम ऋचा शुभांगी की विशेषज्ञता की तहेदिल से प्रशंसा करते हैं.

हम भोपाल, गुना और अन्य जगहों के सामाजिक न्याय और जाति-विरोधी कार्यकर्ताओं, समूहों, वकीलों और अन्य सहयोगियों के आभारी हैं जिन्होंने इस शोध के लिए लगातार सूचनाएं उपलब्ध कराईं और हमारे व्यापक काम में निरंतर मदद करते हैं.

कार्यकारी सारांश

हमारी रिपोर्ट मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस गिरफ़्तारी के आंकड़ों के आधार पर 'पुलिस की कार्यकुशलता' से जुड़ी कार्रवाइयों और रोज़मर्रा के जीवन पर इसके प्रभावों की जाँच-पड़ताल करती है. हमने मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध **20,705** गिरफ़्तारियों से संबंधित आंकड़ों का मूल्यांकन किया. ये गिरफ्तारियां **2019-2024** के दौरान जिले के **18** पुलिस स्टेशनों में की गई थीं. गिरफ्तारी के वर्ष, पुलिस स्टेशन, जाति/समुदाय और अपराध के आरोप - हमने गिरफ़्तारियों से संबंधित जानकारी को इन चार श्रेणियों में बांटा ताकि पुलिसिंग (पुलिस कार्यप्रणाली) और अपराध की घटनाओं के बारे में प्रचलित धारणाओं से इतर यह पता लगाया जा सके कि किन लोगों को किस तरह के अपराध के लिए और कब गिरफ़्तार किया गया.

साल 2019 से 2024 के बीच गिरफ़्तारी के वार्षिक आंकड़ों में काफ़ी भिन्नता पाई गई. सिर्फ 2019-2020 में 66% से ज़्यादा गिरफ़्तारियां दर्ज की गईं. जबकि 2021 में 18%, 2022 में 7.11%, 2023 में 6.09% और जनवरी से जुलाई 2024 के बीच 2.59% गिरफ़्तारियाँ दर्ज की गईं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ज़िलेवार आंकड़े इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि समय के साथ कम अपराध दर्ज हुए हैं (टेबल 2 देखें). सभी पुलिस स्टेशनों में से सिर्फ 6 थाना क्षेत्रों में 68% गिरफ़्तारियां किए जाने के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में कम गिरफ़्तारियां हुई हैं.

71.7% गिरफ्तारियां उत्पीड़ित जातियों या आदिवासी समुदायों से संबंधित हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 32.4%, अनुसूचित जाति (एससी) के 14%, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 9.2% और विमुक्त आदिवासी समुदायों (डीएनटी) के 15.09% लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, जो अनुपातिक रूप से सबसे ज़्यादा थीं. इनमें एससी समुदायों का अनुपात जिले में उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा है. डीएनटी समुदायों में की गई 3,126 गिरफ्तारियों में से 8.3% गिरफ्तारियां ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बंजारा और लोधा समुदाय के लोग गिरफ्तार हुए. अन्य 5.96% गिरफ्तारियां एससी के रूप में वर्गीकृत डीएनटी समुदायों की हैं, जिनमें पारधी और कंजर समुदायों की संख्या बहुत ज़्यादा है.

गुना के विभिन्न समुदायों की आबादी के आधार पर गिरफ्तारियों का विश्लेषण करने पर यह सामने आया कि 5 समुदायों - कंजर, खेरुआ, पारधी, कुचबंधिया और बागड़ी समुदाय के लोगों की अधिक संख्या में गिरफ़्तारी हुई. इनमें से चार डीएनटी समुदाय एससी के रूप में वर्गीकृत हैं. गिरफ़्तार लोगों में कंजर समुदाय के लोगों की संख्या 2% है, जबकि वे गुना की आबादी का मात्र 0.1% हिस्सा हैं यानी कि उनकी आबादी के अनुपात से 15 गुना से अधिक गिरफ़्तारियां की गईं. इसी तरह, गिरफ़्तार

लोगों में पारधी समुदाय के लोगों की संख्या भी 2% है, जबकि वे गुना की आबादी का केवल 0.2% हिस्सा हैं यानी कि उनकी आबादी के अनुपात से 12 गुना से अधिक गिरफ़्तारियां की गईं. वहीं, आंकड़ों के मुताबिक कुचबंधिया और बागड़ी समुदाय में से क्रमशः 0.03% और 0.21% गिरफ़्तारियां की गईं, जो क्रमशः गुना की आबादी का 0.01% और 0.07% हिस्सा हैं.

अलग-अलग पुलिस स्टेशनों द्वारा गिरफ्तार किए गए समुदायों के बीच काफी अंतर मिला. धरनावदा पुलिस स्टेशन की कुल गिरफ्तारियों में से 35.7% गिरफ्तारियां डीएनटी समुदायों से संबंधित हैं. डीएनटी (एसटी) समुदायों में से 60.5% गिरफ्तारियां सिर्फ दो पुलिस स्टेशनों - मकसूदनगंज और राघौगढ़ में हुईं. तीन पुलिस स्टेशनों - धरनावदा, कुंभराज और गुना में डीएनटी (एससी) की 50% से अधिक गिरफ्तारियाँ हुईं. ओबीसी, एससी और एसटी से संबंधित अन्य समुदायों के गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या में भी थानों के स्तर पर बहुत अंतर दिखा.

ये गिरफ़्तारियां अलग-अलग अपराधों के लिए की गई थीं. 51% गिरफ़्तारियां ज़मानती और 40.6% गिरफ़्तारियां गैर-ज़मानती अपराधों के लिए की गईं. अन्य 8% गिरफ़्तारियों को वर्गीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा जिस धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया उनमें किसी उपधारा का विवरण, जिसके आधार पर अपराध का वर्गीकरण किया जाता है, नहीं था. इस तरह सामान्य तरीके से अपराध दर्ज करना पुलिस को गिरफ़्तारी और ज़मानत देने का असाधारण विवेकाधिकार प्रदान करता है. ऐसी गिरफ़्तारियों की तफ़सील से विश्लेषण की ज़रुरत है क्योंकि ये ज्यादातर डीएनटी (एससी), डीएनटी (ओबीसी) और एसटी समुदायों से संबंधित थीं. 73% गिरफ़्तारियां ऐसे कम-गंभीर अपराधों से संबंधित थीं, जिनमें 7 साल से कम की सजा होती और इसलिए गिरफ़्तारी अनिवार्य नहीं थी, जैसा कि '*अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य*' मामले में दिशा-निर्देश हैं. ऐसा ख़ासकर तब है जब इस अध्ययन में शामिल 11,332 व्यक्तियों को पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. इन निर्देशों का अनुपालन न होना पुलिस कार्यप्रणाली के अहम चिंताजनक पहलू को दर्शाता है क्योंकि गिरफ़्तारी चेकलिस्ट शायद ही कभी सही तरीके से तैयार की जाती है जैसा कि '*सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई*' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य किया गया है.

रिपोर्ट यह बताती है कि जिले में पुलिस संसाधनों का बड़ा हिस्सा अनुपातहीन रूप से कम गंभीर अपराधों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ बढ़ता है. हाशिए के समुदायों को स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा नियमित तौर पर संदिग्ध माना जाता है और पुलिस उन पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है. अपराध नियंत्रण के लिए संसाधन आवंटन और इससे संबंधित पुलिस कार्यप्रणाली की प्राथमिकता तय करने के तरीकों पर यह अध्ययन सवाल उठाता है, जबकि प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं का लगातार उल्लंघन एक सार्वजनिक संस्थान और उसकी जवाबदेही से संबंधित बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करता है.

परिचय

जुलाई 2024 में, 25 वर्षीय देवा पारधी को उसकी शादी से एक दिन पहले चोरी के संदेह में तीन थानों के पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. तीस से अधिक पुलिस अधिकारियों ने उसके और उसके परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा की. देवा और उसके परिवार द्वारा शादी के बाद आत्मसमर्पण करने का आश्वासन देने के बाद भी देवा और उनके चाचा को गिरफ्तार कर पास के चौकी ले जाया गया. अगली रात, परिवार को एक फोन कॉल से पता चला कि देवा की मौत हो गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई. हालाँकि, देवा के चाचा ने हिरासत में देवा और अपने साथ की गई हिंसा के बारे में विस्तार से बताया, जिसके कारण देवा की मौत हुई थी. देवा की हिरासत में मौत गुना, मध्य प्रदेश की कोई अकेली घटना नहीं है. 2022 में, गुना के 30 वर्षीय इसराइल खान की भी हिरासत में मौत हुई थी, जिसे पुलिस ने जुए के खेल से जुड़े विवाद में गिरफ्तार किया था.[1] साल 2021 में, 60 वर्षीय वृद्ध शेरू पारधी को पुलिस ने चोरी के संदेह में उनकी बस्ती के अन्य लोगों के साथ आधी रात को हिरासत में लिया था. गिरफ़्तारी के समय उनकी पिटाई की गई, जबकि शेरू के परिवार ने उनकी उम्र का हवाला देकर दया की भीख माँगी थी. थाने पर उसके साथ और भी ज़्यादा मारपीट की गई और कुछ ही समय बाद स्थानीय अस्पताल में उसकी मौत हो गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के पुलिस संस्करण में दर्ज किया गया कि यह मौत शराब पीने के हुई थी.[2] 2015 में, पारधी समुदाय एक अन्य 28 वर्षीय युवक आत्माराम को पुलिस ने चोरी के संदेह में तब गोली मारी थी, जब वह एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लौट रहा था. पुलिस जोर देकर कहती रही कि उसका वर्षों से गुरुग्राम में इलाज़ कराया जा रहा है, हालांकि परिवार को संदेह था कि पुलिस ने आत्माराम को गोली मार कर उसी दिन जंगल में दफना दिया था. पुलिस ने आखिरकार 2022 में स्वीकार किया कि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी.[3]

हिरासत में बड़ी संख्या में हो रही ऐसी मौतें और पुलिस द्वारा ऐसी व्यापक हिंसा चिंताजनक है. ये इन मामलों से परे संरचनात्मक और व्यवस्थागत पैमाने पर नए सिरे से पुलिस की जवाबदेही तय करने की मांग करता है. देवा की मौत का मीडिया कवरेज अपमानजनक भाषा से भरा पड़ा था जिसमें

---

1 तिवारी वी, 'गुना मैंन डाएज ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, फॅमिली अलेजेज कस्टोडियल टार्चर' (द क्विंट, 26 नवम्बर 2022). https://www.thequint.com/news/india/guna-custodial-death-allegations-israil-khan-three-policemen-line-attached#read-more 8 फरवरी 2025 को देखा गया.

2 फैक्ट-फाइंडिंग टीम, ["एक पिता, एक पति शेरू पारधी की 'पुलिस उत्पीड़न से मौत", मैं अपराधी नहीं हूँ (पुलिस मिसबिहेवियर किल्स शेरू पारधी, अ फादर, अ हस्बैंड', आई ऍम नॉट अ क्रिमिनल)] (मुस्कान 2024).

3 तोमर एस, 'द स्टोरी ऑफ़ आत्माराम, एंड द बैटल टू एस्टब्लिश ही वाज मर्डर्ड बाय कॉप्स' (हिंदुस्तान टाइम्स, 9 जनवरी 2023), https://www.hindustantimes.com/india-news/the-story-of-atmaram-and-the-battle-to-establish-he-was-murdered-by-cops-101673199624609.html 24 फरवरी 2025 को देखा गया.

उसे "बदमाश"[4] करार दिया गया और उसकी असामयिक मौत के बावजूद उसे "पकड़ने"[5] में पुलिस द्वारा दिखाई चतुराई का जश्न मनाया गया. संपादकीय विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं करने के अलावा, इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया गया कि देवा कभी भी दोषी करार नहीं दिया गया था, जबकि उसके जीवन के अन्य विवरण उजागर किए गए थे. पुलिस द्वारा इस तरह किसी को अपराधी ठहराना और उसका आत्म-प्रशंसापूर्ण व्यवहार यह बताता है औपनिवेशिक दौर की तरह अभी भी कुछ समुदायों को कलंकित करने की वह सोच बनी हुई है जो कुछ घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों को "आपराधिक जनजाति" के रूप में पेश करती है.

1871 में, अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA) लागू किया जिसने इन समुदायों (पारधी सहित) को बार-बार "व्यवस्थित ढंग से गैर-जमानती अपराधों को अंजाम देने वाला" ठहराया और उन्हें 'जन्म से अपराधी' करार दिया. इस कानून ने पुलिस को निगरानी, अनिवार्य पंजीकरण और पूरे समुदायों का जबरन पुनर्वास करने सहित कई व्यापक अधिकार दिए. हालांकि यह कानून 1952 में निरस्त कर दिया गया, इसकी जगह कई राज्यों में आदतन अपराधी कानूनों ने ले ली जिसने फिर से CTA जैसी शक्तियां प्रदान कीं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी *सुकन्या शांता बनाम भारत संघ* मामले में इस पर संज्ञान लिया है.[6] आज भी यह कलंक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक समान पहुंच (अवसर) को बाधित करता है और सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों को कम करता है. क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (सीपीए प्रोजेक्ट) की पहले की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा लाभकारी प्रतीत होने वाल कानूनों, जैसे आबकारी[7], वन्यजीव संरक्षण[8] और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कानून, के जरिए इन समुदायों के विरुद्ध प्रतिदिन की जाने वाली कार्रवाइयां किस प्रकार उनकी आजीविका, संस्कृति और परंपराओं पर निगरानी और इनके अपराधीकरण का लगभग अपरिहार्य खतरा पैदा करती हैं.[9] सीटीए ख़त्म किए जाने के बावजूद, इन समुदायों से जुड़ा संरचनात्मक भेदभाव और इसके व्यापक नकारात्मक प्रभाव अभी भी कायम हैं, जिसके कारण व्यवस्थागत भेदभाव और पुलिस द्वारा निशाना बनाना जारी है.

---

4 रघुवंशी ए, 'गुना में पारदियों ने पुलिस पर चलाई अंधाधुन्द गोलियां: जमीन पर लेटे पुलिसकर्मी, भागकर जान बचाई; दूसरे दिन कस्टडी में हुई थी दूल्हे की मौत' (दैनिक भास्कर, 18 जुलाई, 2024). https://www.bhaskar.com/local/mp/guna/news/deva-was-involved-in-an-encounter-with-the-police-of-three-districts-133339394.html 24 फरवरी 2025 को देखा गया.

5 रघुवंशी ए, 'दूल्हे की गिरफ्तारी से मौत तक की इनसाइड स्टोरी: हमले के डर से पुलिस गांव में नहीं घुसी, दो किलोमीटर बाहर से पकड़ा' (दैनिक भास्कर, 17 जुलाई, 2024). https://www.bhaskar.com/local/mp/guna/news/deva-was-accused-of-stealing-400-kg-silver-133334179.html 24 फरवरी 2025 को देखा गया.

6 सुकन्या शांता बनाम भारत संघ 2024, एससीसी ऑनलाइन एससी 2694.

7 ड्रंक ऑन पॉवर: ए स्टडी ऑफ एक्साइज़ पुलिसिंग इन मध्य प्रदेश (क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (सीपीए प्रोजेक्ट) 2022).. https://cpaproject.in/wp-content/uploads/2022/07/Excise-Report-2021%204%20CPA-Project.pdf 8 फरवरी 2025 को देखा गया.

8 Wildlife Policing: The Reign of Criminalisation in the Forests of Madhya Pradesh' (CPA Project 2023) https://cpaproject.in/wp-content/uploads/2023/02/WPA-FINAL-DRAFT.pdf accessed 8 February 2025.

9 'ड्रंक ऑन पावर: ए स्टडी ऑफ एक्साइज पुलिसिंग इन मध्य प्रदेश' (क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (सीपीए प्रोजेक्ट) 2022). https://cpaproject.in/wp-content/uploads/2022/07/Excise-Report-2021-CPA-Project.pdf 8 फरवरी 2025 को देखा गया.

आपराधिक न्याय प्रणाली के पिछले अध्ययनों ने स्थायी सामुदायिक प्रथाओं पर कुछ कानूनों के प्रभाव का विश्लेषण कर अदालतों, जेलों और नृवंशविज्ञान संबंधी विवरणों में इसके कामकाज का अध्ययन किया है. यह अध्ययन हिरासत में मौत की भयंकर हिंसा को स्वीकृति देने वाले पुलिस की स्थानीय कार्यप्रणालियों की छानबीन करता है. यह शोध एक खास जिले, उसके पुलिस स्टेशनों और पुलिस कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक नए प्रकार का अध्ययन है. वर्तमान में विमुक्त जनजातियों[10] को खतरनाक रूप से अपराधी ठहराने की झूठी कहानी के निरंतर प्रचार-प्रसार को देखते हुए जमीनी हकीकत को सामने लाना ज़रूरी है. अधिक व्यापक रूप से, हम आशा करते हैं कि यह जिला स्तर पर जाति संबंधों की सामाजिक-राजनीतिक अहमियत और पुलिस द्वारा ताकत के विवेकाधीन इस्तेमाल से इसके जुडाव को समझने में मदद करेगा.

10 विमुक्त उन समुदायों के लिए आत्म-पुष्टि का मान्यता प्राप्त शब्द है जिन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम द्वारा अपराधी घोषित किया गया था। हालाँकि, हमने डिनोटिफाइड ट्राइब्स का उपयोग (सबसे सुपाठ्य प्रशासनिक श्रेणी के रूप में) इस संदर्भ में बरकरार रखा है।

शोध-पद्धति

औपनिवेशिक काल से ही पुलिस ने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ी आबादी को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत आंकड़े इकट्ठा किए हैं. शुरू में, पुलिस ने अपराध दर और दोषसिद्धि पर डेटा एकत्र किया और बाद में इसने केन्द्रीय स्तर पर अलग- अलग आंकड़े इकट्ठा करने के लिए अपने कार्य का विस्तार किया, जैसा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्टों में सामने आता है. इन आंकड़ों के आधार पर पुलिस आपराधिक समूहों और आपराधिकता के लक्षणों की पहचान करने संबंधी 'कार्यक्षम' निर्णय लेती है. इसलिए, पुलिस रिकॉर्ड के अध्ययन से पुलिसिंग के उन विषयों से परे भी नज़र जाती है जो हाशिए के समुदाय माने जाते हैं. इससे हमें पुलिस कार्यप्रणाली को देखने-समझने का मौका मिलता है, पुलिस की 'दक्षता' को समझने का नया तरीका मिलता है और यह आंकड़ों के अध्ययन करने के मौजूदा 'वस्तुनिष्ठ' तरीकों और इनके एकत्र करने वालों को चुनौती देने के लिए जाति-विरोधी और कारागार-विरोधी नजरिया प्रदान करता है।

हमने जनवरी 2019 से जुलाई 2024 के बीच गुना जिले के 18 पुलिस स्टेशनों द्वारा की गई 20,705 गिरफ्तारियों से संबंधित ऑनलाइन जानकारियों का अध्ययन किया.[11] गिरफ्तारी रिकॉर्ड में कई प्रमुख जानकारी दर्ज रहती हैं. जैसे, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, जांच अधिकारी का नाम और पद, गिरफ्तारी वर्ष और वह अपराध जिसके तहत गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तारी संबंधी डेटा सरकारी पुलिस वेबसाइट - मध्य प्रदेश पुलिस नागरिक पोर्टल (https://www.mppolice.gov.in/en) से एकत्र किया गया. ऐसी संभावना है कि पुलिस स्टेशनों ने पूरा डेटा अपडेट न किया हो, लेकिन साल-दर-साल के रुझानों के साथ इनका मिलान किया गया है. इसके अतिरिक्त, इन प्रविष्टियों में गिरफ्तारी की तारीख दर्ज नहीं होने से गिरफ्तारी के वर्ष से परे पुलिस कार्यप्रणाली से संबंधित और रुझानों की छानबीन करना मुश्किल हो गया. हमने विश्लेषण के लिए आंकड़ों को इन चार-चार अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया: वर्ष, पुलिस स्टेशन, अपराध और गिरफ्तार व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि ताकि एक निश्चित अवधि के दौरान पुलिस गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके.

हमने तीन कानूनी श्रेणियों में बांटकर अपराधों का अध्ययन किया - संज्ञेय या गैर-संज्ञेय; जमानती या गैर-जमानती और क्या गिरफ्तारी '*अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य*'[12] मामले के फैसले में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनिवार्य या गैर-अनिवार्य थी. इससे हमें यह पता लगाने में मदद मिली कि किस समुदाय से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया. ऐसा इस बारे में और जानकारी जुटाने

11 पुलिस स्टेशन जिनसे संबंधित आंकड़ों का अध्ययन किया गया: आरोन, एजेके, कुंभराज, गुना, गुना कोतवाली, गुना महिला पुलिस थाना, चाचौड़ा, जामनेर, धरनावदा, फतेहगढ़, बजरंगगढ़, बमौरी, मकसूदनगढ़, मृगवास, म्याना, राघौगढ़, विजयपुर और सिरसी।

12 अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273.

के लिए किया गया कि किस तरह के अपराध के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था. इस वर्गीकरण की एक महत्वपूर्ण सीमा तब सामने आती है जब दंडात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है. ऐसी प्रविष्टियाँ ने अस्पष्टता पैदा की जिनमें उप-धारा का उल्लेख नहीं था या अप्रासंगिक प्रावधानों या यहाँ तक कि गैर-दंडात्मक प्रावधानों का उल्लेख था. इस बाधा को दूर करने करने के लिए, हमने ऐसी प्रविष्टियों को चिह्नित करने के लिए 'एएसआई' (सूचना का अस्पष्ट स्रोत) शब्द का उपयोग किया है.

समुदाय के अनुसार श्रेणी तैयार करने के लिए, हमने गिरफ़्तार व्यक्तियों के अंतिम नाम/उपनामों का अध्ययन किया क्योंकि आंकड़ों में दर्ज जाति के साथ-साथ उपनाम भी भारतीय संदर्भ में जाति के बारे में जानकारी देते हैं. हमने उपनामों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया है: 'सामान्य'[13], 'अनुसूचित जाति'[14], 'अनुसूचित जनजाति'[15], 'अन्य पिछड़ा वर्ग'[16] और 'विमुक्त जनजाति'[17].

उपनामों का अध्ययन करने की हमारी पद्धति में कुछ सीमाएँ हैं.[18] कभी-कभी, गिरफ़्तारी रिकॉर्ड में उपनाम या जाति का विवरण दर्ज नहीं होता है, जिससे व्यक्ति की जाति का पता लगाना असंभव हो जाता है. कई बार, वे समाज के विभिन्न पहलुओं पर जाति व्यवस्था के प्रभाव के बारे में नहीं बताते हैं. जिलों और राज्यों में जाति वर्गीकरण अलग-अलग होता है. राजनीतिक रूप से अप्रभावी उत्पीड़ित जातियां अपनी पहचान बदलने के लिए अपने उपनामों में 'कुमार' या उच्च जातियों के उपनामों का इस्तेमाल करती हैं या जाति-विरोधी संघर्ष में शामिल होते हुए नए उपनाम भी अपना सकती हैं.

व्यापक जाति जनगणना के अभाव में विभिन्न श्रेणियों में जाति आधारित मानक आंकड़ों की कमी है. एकरूपता न होने से जाति के वर्गीकरण में बहुत विसंगतियां और असंगतताएं पैदा होती हैं. जैसे, राज्यों (जब लोग काम के लिए पलायन करते हैं) और जिलों (जैसे कि पारधी राज्य के अलग-अलग जिलों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणियों में रखे गए हैं) के बीच एकरूपता न होना, आदिवासी और दलित समुदाय जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है, विमुक्त समुदाय जो सभी प्रशासनिक श्रेणियों में रखे गए हैं. 'सामान्य' श्रेणी में वर्गीकृत समुदायों की सूची का न उपलब्ध होना भी जाति के मात्रात्मक अध्ययन को चुनौतीपूर्ण बनाता है. इन कमियों को दूर करने के लिए, हमने गैर-प्रशासनिक श्रेणियों के आधार पर प्रविष्टियों को वर्गीकृत किया है, इनमें शामिल हैं - शून्य[19],

---

13 'सामान्य' ऐसे उपनामों के बारे में बताता है जो उत्पीड़क या तथाकथित उच्च जातियों से संबंधित हैं.

14 'अनुसूचित जाति' में दलित समुदायों के नाम शामिल हैं.

15 'अनुसूचित जनजाति' में आदिवासी समुदायों के नाम शामिल हैं.

16 'अन्य पिछड़ा वर्ग' आधिकारिक राज्य दस्तावेजों के विवरण से लिया गया है.

17 'विमुक्त जनजाति' में सभी खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश समुदाय शामिल हैं और यह मुख्य रूप से मौखिक इतिहास और इदाते और रेनके आयोगों में दर्ज वर्गीकरण से लिया गया है.

18 देखें नोट 7, पृष्ठ 24-27.

19 'शून्य' में वे गिरफ़्तारी रिकॉर्ड शामिल हैं जिनमें कोई उपनाम नहीं था.

अवर्गीकृत[20], संभवतः सामान्य[21], संभवतः हाशिए पर[22] और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में पहचाने जाने वाले विमुक्त/विमुक्त आदिवासी समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उप-वर्गीकरण. 6 डीएनटी और 26 घुमंतू समुदायों, जिनकी पहचान इदाते आयोग द्वारा की गई थी और जिन्हें मध्य प्रदेश में किसी भी श्रेणी[23] में शामिल नहीं किया गया है, को समायोजित करने के लिए डीएनटी/सामान्य के एक अतिरिक्त वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे रिकार्ड्स में ऐसी कोई श्रेणी नहीं मिली.

20 'अवर्गीकृत' में ऐसे उपनाम शामिल हैं जिनकी जाति का पता हम अपनी काफ़ी व्यापक खोज के बावजूद नहीं लगा पाए.

21 'संभवतः सामान्य' में वे सभी उपनाम शामिल हैं जो उत्पीड़क या उच्च जातियों और उत्पीड़ित या हाशिए की जातियों दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं.

22 'संभवतः हाशिए पर' में वे सभी उपनाम शामिल हैं जो हाशिए के समुदायों के विभिन्न समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, न कि किसी उत्पीड़क जाति द्वारा.

23 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (भारत सरकार, 2017), पृष्ठ 240. https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/Idate%20Commission.pdf 24 फ़रवरी 2025 को देखा गया.

1. अतीत से लेकर वर्तमान तक: अपराधीकरण का दुष्चक्र

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 (सीटीए) औपनिवेशिक सरकार के ज़मीन और जंगलों पर अपने प्रभुत्व को मज़बूत करने के दृष्टिकोण को दर्शाता था क्योंकि घुमंतू समुदायों ने चुनौती पेश की थी. इस उद्देश्य को पाने के लिए, सीटीए के जरिए उन्होंने जाति व्यवस्था से बाहर स्थित अनियमित आजीविका वाले समुदायों को वर्गीकृत किया और उनकी पहचान की ताकि पुलिसिंग संबंधी संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके[24]. स्थायी जाति व्यवस्था आधारित वंशानुगत व्यवसाय की विशिष्टता के कारण घुमंतू समुदायों को वंशानुगत अपराधियों और 'आपराधिक जनजातियों' के रूप में प्रस्तुत किया गया. सीटीए के तहत समुदाय के सदस्यों के लिए नियमित 'हाजिरी लगाना' और गांव से बाहर की अपनी गतिविधियों, व्यवहारों और पूर्व के विवरणों को दर्ज करने का ज़रूरी था. इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि वे 'पास' के आधार पर यात्रा करने वाले इलाके के स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और सुधारात्मक बस्तियों की परिधि में निवास करें.

भारतीय संविधान लागू होने और इसके समानता के वादे से प्रेरित होकर, साल 1951 में आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति (अयंगर समिति) ने इस आधार पर सीटीए को निरस्त करने की सिफारिश की कि 'आदतन अपराधियों' की पहचान जाति/जनजाति और वंशानुगत विशेषताओं के आधार पर नहीं की जानी चाहिए[25]. हालाँकि, 1952 में अधिनियम के निरस्त होने से जन्म के आधार पर आपराधिक गतिविधि या प्रवृत्ति की पहचान करने का अंत नहीं हुआ. अब ऐसा आदतन अपराधी कानूनों के साथ-साथ पुलिस मैनुअल्स एवं रेगुलेशन्स और अन्य जातिविहीन श्रेणियों, जैसे 'हिस्ट्री शीटर', 'राऊडी शीटर', 'बदमाश' के प्रावधानों के जरिए किया जाने लगा.[26]

आज भी, मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन्स में घुमंतू जनजातियों या गिरोहों को आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत कर उन्हें निगरानी करने योग्य विशेष समूह के रूप में संदर्भित किया जाता है. रेगुलेशन्स 603[27] यह निर्धारित करता है कि अपराध रोकने के लिए स्टेशन ऑफिसर और उनके अधीनस्थ कर्मचारी मुख्य रूप से अपने सर्किल का मुआयना कर सभी अपराधियों, घुमंतू जनजातियों के 'व्यवहार और कार्यों' की पूरी जानकारी एकत्र करें, उसकी निगरानी करें और आजीविका के लिए

24 निकिता सोनावने, 'डिकन्स्ट्रकटिंग पुलिस डिस्क्रेशन एज ब्राह्मणनिज्म' (2023) 19 सोशियो-लीगल रिव्यू 52 https://doi.org/10.55496/PXZR3368 12 फरवरी 2025 को देखा गया.

25 अनंथशयनम अयंगर समिति, 'आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति की रिपोर्ट (1949-50)' (आपराधिक जनजाति अधिनियम जांच समिति 1951).

26 देखें नोट 23.

27 रेगुलेशन 603, भाग V, अध्याय I, खंड IX, मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन ('एमपीपीआर).

किए जाने वाले अनैतिक कार्यों के लिए मुकदमा चलाएं. सब-इंस्पेक्टर्स और हेड कांस्टेबलों को 'आपराधिक जनजातियों की निगरानी संबंधी सर्कुलर ऑर्डर्स के पालन' पर विशेष ध्यान देना चाहिए.28 रेगुलेशन्स 617, 633 और 670 में 'मध्य प्रदेश में सक्रिय आपराधिक जनजातियों', 'घुमंतु गिरोहों' संबंधी रजिस्टर तैयार करने का उल्लेख है और बताया गया है कि स्टेशन ऑफिसर द्वारा उनकी गतिविधि एवं संरचना और उनसे संबंधित संदेह का विवरण कैसे दर्ज किया जाना चाहिए. 29रेगुलेशन्स 822 और 861 में यह बताया गया है कि 'आपराधिक जनजाति के सदस्यों' को अपनी तस्वीर और उंगलियों के निशान के विवरण किस प्रकार दर्ज कराना चाहिए. साथ ही इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि जेल से रिहा होने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा उनका मुआयना किया जा सकता है.30 आदतन अपराधी को वर्गीकृत करने की स्पष्ट कानूनी परिभाषा के बिना, मध्य प्रदेश जेल मैनुअल31 में विमुक्त जनजाति के किसी भी सदस्य को आदतन अपराधी के रूप में वर्गीकृत किए जाने का प्रावधान शब्दावली की इन अस्पष्ट सीमाओं को सामने लाता है.

विभिन्न श्रेणियों के बीच आपराधिकता का यह अबाध क्रम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 129 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110) के तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ निरोधक बॉन्ड प्रोसीडिंग्स के इस्तेमाल में भी प्रदर्शित होता है, जहां पुलिस द्वारा 'किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या समुदाय में उसके बारे में सामान्य धारणा से जुड़े साक्ष्य' प्रस्तुत किए जा सकते हैं. इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने संबंधी बहुत ज्यादा विवेकाधिकार, यहां तक कि उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जो एक बार भी दोषी सिद्ध नहीं हुए हों, इसका सबूत है कि रजिस्टर और हिस्ट्री शीट तैयार किया जाना जारी है, जो खुद को संतुष्ट करने वाली एक अपेक्षा है.

28 रेगुलेशन 606, भाग V, अध्याय I, खंड IX, एमपीपीआर.
29 भाग V, अध्याय I, खंड IX, एमपीपीआर.
30 भाग VI, अध्याय IV, खंड II और भाग VI, अध्याय VIII, खंड V, एमपीपीआर.
31 रेगुलेशन 411, भाग II, खंड I, मध्य प्रदेश जेल मैन्युअल.

2. पिछले कुछ वर्षों में जिले में हुई गिरफ्तारियां

साल 2019 से 2024 के बीच अलग-अलग वर्षों में गिरफ़्तारी के आंकड़ों में काफ़ी भिन्नता पाई गई. इन 4.5 वर्षों में से 66% से ज़्यादा गिरफ़्तारियां 2019 और 2020 में दर्ज की गईं. 2019 में, 7,263 गिरफ़्तारियां (35.08%) दर्ज की गईं, जो अध्ययन की अवधि के दौरान सबसे ज़्यादा हैं. गिरफ़्तारियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है, 2021 में 3,726 गिरफ़्तारियां (18.00%), 2022 में 1,472 गिरफ़्तारियां (7.11%) और 2023 में 1,261 गिरफ़्तारियां हुईं, 2024 में जनवरी से जुलाई के बीच सिर्फ़ 536 गिरफ़्तारियां हुईं.

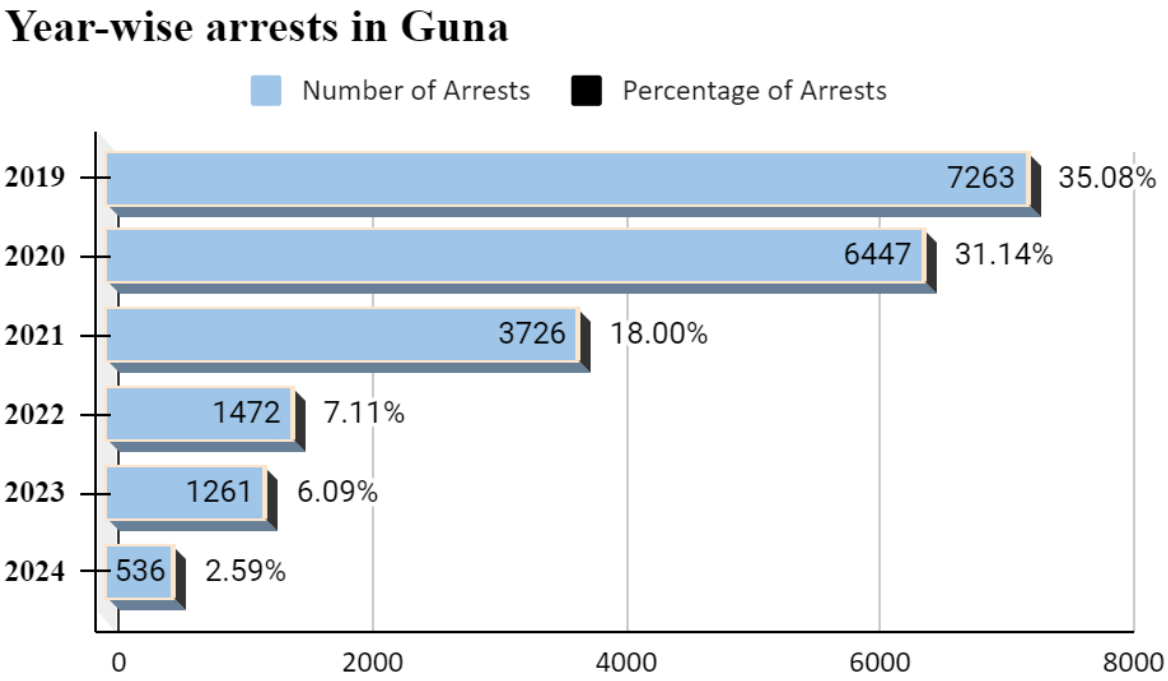

चित्र 1: *वर्ष-वार गिरफ्तारियां, 30.07.2024 को मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार*

गिरफ़्तारी रिकॉर्ड और अपराध रिकॉर्ड में आम तौर पर वर्ष वार ज्यादा अंतर नहीं पाया गया. फिर भी 2019 से 2022 के बीच, राज्य भर में दर्ज गिरफ़्तारियों में काफ़ी कमी आई (देखें टेबल 1). गुना में गिरफ़्तारियों के रुझान काफ़ी हद तक मैक्रो ट्रेंड का अनुसरण करते हैं, हालाँकि भिन्नताओं का गहन विश्लेषण अध्ययन के दायरे से बाहर है. देवा की हिरासत में हत्या के बाद से, मध्य प्रदेश के अख़बारों ने गुना में गिरफ़्तार लोगों के ख़िलाफ़ की गई सख़्ती और बल प्रयोग को सही ठहराने के लिए पुलिस विवरणों पर आधारित 'ख़तरनाक अपराधियों', 'गैंग हिंसा' की ख़बरें प्रकशित कीं.[32]

32 विजय सिंह जाट, '5 करोड़ की चोरी में वांटेड देवा पारदी की अटैक से अस्पताल में मौत' (अग्निबाण, 16 जुलाई, 2024) https://v.calameo.com/?bkcode=00409120843d144642233&mode=mini 26 फ़रवरी, 2025 को देखा गया.

आंकड़ों की सीमाओं से परे, साल-वार पैटर्न विमुक्त आदिवासी और अन्य समुदायों के कारण "आपराधिक गतिविधि बढ़ने" के दावों पर सवाल उठाते हैं. साथ ही ये पैटर्न समुदाय के प्रति व्यवस्थागत रुढ़िबद्धता को दर्शाते हैं, तब भी जबकि उन्हें पुलिस हिंसा का सामना करना पड़ता है. कानून के अनुसार, केवल शारीरिक हिंसा, संपत्ति से संबंधित अपराध या राज्य के ख़िलाफ़ अपराध जैसे 'गंभीर' अपराधों के लिए गिरफ़्तारी की जा सकती है और इसके लिए '*डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*'[33] और '*अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य* '[34] - इन दो मामलों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार औचित्य सिद्ध करना होता है. हालांकि, सिर्फ गिरफ़्तारियों में कमी से अपराध की घटनाओं में कमी का संकेत नहीं मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित अपराधों का ज़िलावार विवरण पूरी तस्वीर पेश करने में मदद करता है (तालिका 2 देखें). साल 2022 तक के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक आपराधिक गतिविधियां घटी हैं जबकि पुलिस के आधिकारिक बयानों और मीडिया में इसके विपरीत स्थिति पेश की जाती है.

वर्ष	मध्य प्रदेश में हुई गिरफ्तारियां
2022	97,626
2021	1,92,845
2020	2,52,480
2019	2,48,618

टेबल 1: *मध्य प्रदेश में हुई वर्ष-वार गिरफ्तारियां, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार*

वर्ष	गुना में आईपीसी के तहत दर्ज अपराध की संख्या
2022	5,017
2021	5,008
2020	6,794
2019	4,651
2018	4,471

टेबल 2: *गुना में भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज वर्षवार अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार*

33 डी. के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 एससीसी 416.
34 देखें टिप्पणी 12.

जिले भर में अठारह पुलिस स्टेशन हैं और इनके द्वारा की गई गिरफ्तारियों की संख्या में बहुत अंतर पाया गया (चित्र 2). इनमें से कुल गिरफ्तारियों में से 15% गिरफ्तारियां अकेले एक पुलिस स्टेशन आरोन द्वारा की गईं. गुना कोतवाली, राघौगढ़, गुना (जिला मुख्यालय), चाचौड़ा और कुंभराज - इन पांच पुलिस स्टेशनों में से हरेक का कुल गिरफ्तारियों में लगभग 10-11% का योगदान रहा. एक राज्य के भीतर, पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र कई कारकों के आधार पर तय किया जाता है. इनमें शामिल हैं: जनसंख्या का आकार, कानून और व्यवस्था से संबंधित कार्यभार और थाना क्षेत्र के निवासियों द्वारा पुलिस स्टेशन पहुँचने में तय की जाने वाली दूरी. इस प्रकार, एक जिले के सभी पुलिस स्टेशन की भौगोलिक सीमा का क्षेत्रफल और इसके तहत आने वाली आबादी का घनत्व एक समान नहीं होता है (चित्र 3). प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली जनसंख्या के आंकड़े के बिना, अलग-अलग थानों द्वारा ज्यादा गिरफ़्तारी किए जाने से जुड़ी चिंताओं का सीमित विश्लेषण संभव है, हालाँकि क्षेत्र से मिले सबूत (फ़ील्ड एविडेंस) इस विश्लेषण में मदद कर सकते हैं. हालाँकि, इस डेटासेट में गिरफ़्तारी के रुझान काफी हद तक वार्षिक आँकड़ों के अनुरूप हैं जो कि 2019 और 2024 के बीच के वर्षों में क्रमशः घटते जाते हैं.

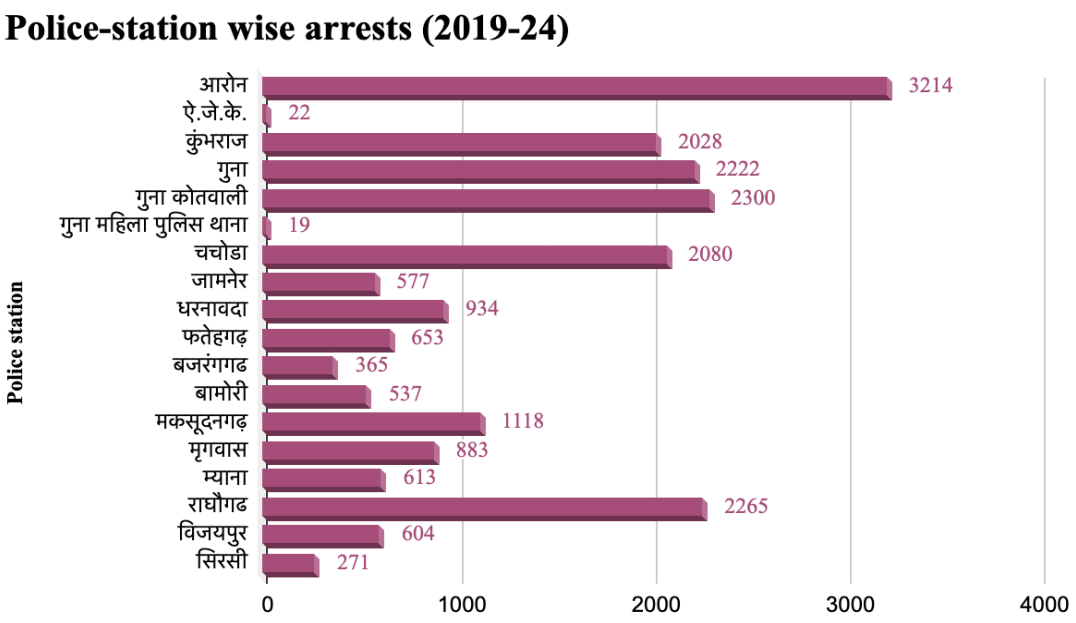

चित्र 2: *पुलिस स्टेशन के आधार पर गिरफ्तारियां, 30.07.2024 को मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार*

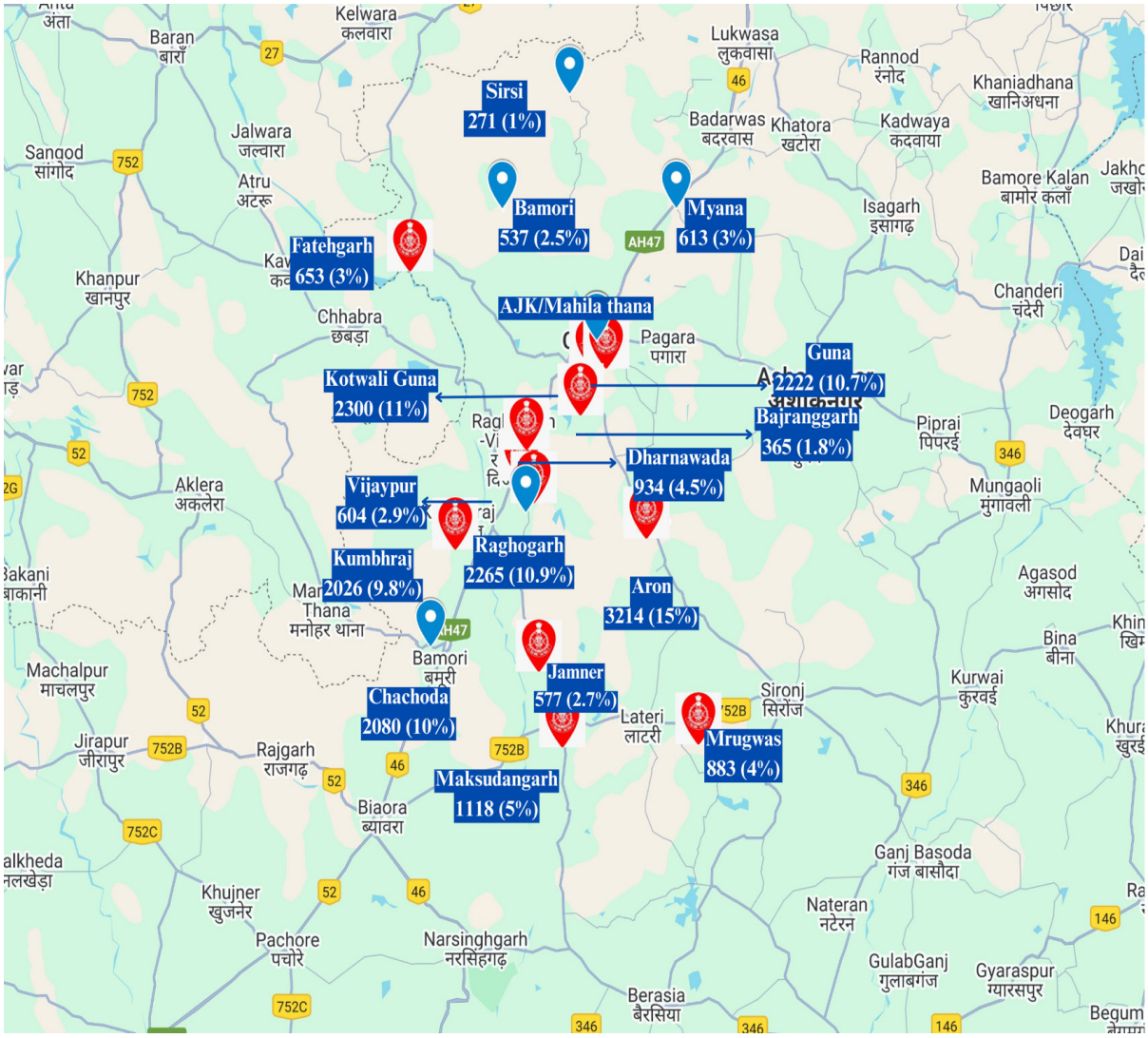

चित्र 3: *संबद्ध पुलिस स्टेशन के साथ जिले में गिरफ्तारियों का अलग-अलग मानचित्रण, मध्य प्रदेश मीडिया सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्र के अनुसार*

3. पुलिस किस पर नज़र रखती है?

गिरफ़्तारी रिकॉर्ड में गिरफ़्तार किए गए लोगों का विवरण दर्ज होना चाहिए. इनमें गिरफ़्तारी के समय व्यक्ति का सिर्फ़ पूरा नाम दर्ज किया जाता है, जिसमें उनके जेंडर या पते का विवरण नहीं होता है. हमने यह विश्लेषण नहीं किया है कि गिरफ़्तार किए गए लोगों का जेंडर प्रोफ़ाइल क्या था यानी कि उनका जेंडर क्या था. ऐसा इस कारण क्योंकि सिर्फ नामों के ज़रिए जेंडर की पहचान करना संभव नहीं होता है. हालांकि, कई गिरफ़्तार महिलाओं के नामों के साथ 'श्रीमती', 'बाई' या 'बेगम' लिखा था, लेकिन ये टाइटल्स सिर्फ़ खास समुदायों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. कुल 20,705 गिरफ़्तारियों में से 1,075 महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित हैं और अन्य 3 गिरफ्तारी रिकॉर्ड में किन्नर महिलाओं (एक ट्रांसवुमेन समुदाय) का जिक्र है. गिरफ़्तार की गई ज़्यादातर महिलाएं उत्पीड़ित जाति समुदायों और जनजातियों से हैं.

अधिकांश सामुदायिक नाम उपनामों से लिए गए हैं. हालांकि, गिरफ्तारी रिकार्ड्स में सामान्यतः मुसलमान, पारधी/बंजारा दर्ज किया गया है, भले ही गिरफ्तार लोगों के सिंह या खान जैसे उपनाम हों. यह दर्शाता है कि गिरफ्तार लोगों की जाति और धर्म की जानकारी दर्ज करने का चलन जारी है. गिरफ्तार किए गए कुल 20,705 लोगों में से 14,852 उत्पीड़ित जाति या आदिवासी समुदायों (71.7%) से संबंधित हैं (चित्र 4). इसमें संभवतः सामान्य (16%) श्रेणी के तहत दर्ज नाम शामिल नहीं है क्योंकि इनके उपनाम ऐसे हैं जो उत्पीड़ित जाति समुदायों के साथ-साथ प्रभावशाली जातियों द्वारा भी धारण किए जाते हैं, हालांकि इस तरह वर्गीकृत किए गए 29% व्यक्ति मुसलमान हैं. ऐसे उपनामों की संख्या कम है जिसके आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति की जाति का पता नहीं लगाया जा सका. ये कुल डेटासेट का केवल 5% हैं और इन्हें अवर्गीकृत और साथ ही शून्य, जहाँ कोई उपनाम दर्ज नहीं किया गया था, के रूप में रिकॉर्ड किया गया है. कुल 444 गिरफ्तार लोगों के उपनाम से उनकी जाति निर्धारित नहीं की जा सकी और इनमें से अधिकांश मुसलमान थे. 115 रिकार्ड्स में 'मुसलमान' और 118 में 'मुस.' (मुस्लिम/मुसलमान का संक्षिप्त रूप) दर्ज किया गया था. यह संख्या गिरफ्तार किए गए ऐसे मुस्लिम व्यक्तियों का पूर्णतः प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं जो हमारे डेटा सेट में मौजूद हैं क्योंकि अन्य 1,034 व्यक्तियों का नाम ओबीसी, सामान्य या संभवतः सामान्य के रूप में वर्गीकृत बिरादरियों में दर्ज किया गया. इस प्रकार कुल गिरफ़्तारियों में मुसलमानों की संख्या 2267 (कुल गिरफ़्तारियों का 10.94%) है.

इसके अलावा, आंकड़ों में सबसे प्रचलित उपनाम मीना और अहिरवार (डेटा सेट का कुल 16.6%) और भील और यादव (डेटा सेट का कुल 10.4%) हैं. डेटा सेट में 500 से ज़्यादा मौज़ूद समुदायों में पारधी और बंजारा समुदाय गिरफ़्तार किए जाने वाले शीर्ष 10 समुदायों में शामिल हैं (टेबल 4).

चित्र 4: *उपनामों और जातियों के अनुसार गुना में समुदाय-वार गिरफ्तारियां, आंकड़े 30.07.2024 को*

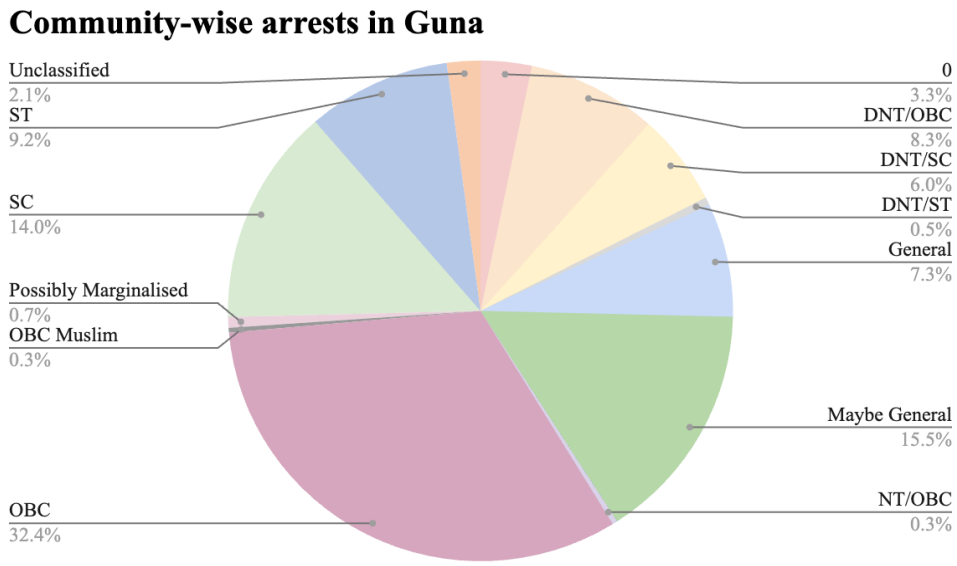

मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इस जानकारी का मिलान राज्य और केंद्र सरकार के दस्तावेजों में दर्ज जातियों के साथ किया गया (सीपीए परियोजना के पास आंकड़े उपलब्ध)

उपनाम	गिरफ्तारी (संख्या में)	गिरफ्तारी (% में)
मीना	2,119	10.23%
अहिरवार	1,323	6.39%
भील	1,153	5.57%
यादव	1,009	4.87%
कुशवाहां	857	4.14%
बंजारा	826	3.99%
गुर्जर	676	3.27%
शर्मा	480	2.32%
लोधा	475	2.29%
पारदी	473	2.28%

टेबल 3: *दर्ज गिरफ्तारियों में सबसे अधिक पाए गए 10 उपनाम, घटते क्रम में, आंकड़े 30.07.2024 को मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर मौजूद जानकारी के अनुसार*

जैसा कि चित्र 4 में देखा जा सकता है, गिरफ़्तार किए गए लोगों में सबसे ज़्यादा ओबीसी समुदाय

के लोग हैं जो कुल गिरफ्तारियों का 32% (6,706 गिरफ्तारियाँ) हैं. अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या भी इस डेटासेट का एक बड़ा हिस्सा (14%) है. 2011 की जनगणना के अनुसार गुना की कुल आबादी में अनुसूचित जाति 15.6% हैं. कुल गिरफ्तारियों में से 6 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तहत आने वाले डीएनटी समुदाय हैं जिनकी गणना हमारे डेटासेट में अलग से की गई है. इसे मिलाकर अनुसूचित जाति के गिरफ़्तार लोगों की कुल संख्या 20% है. पिछले दशक के जनसंख्या अनुमानों को ध्यान में रखते हुए भी, यह संख्या अनुसूचित जाति की आबादी के अनुपात से बहुत ज्यादा है और निर्णायक रूप से यह दर्शाता है कि इन समुदायों के लोगों की गिरफ़्तारी ज्यादा होती है. ऐसा खास तौर पर छोटे अपराधों के मामलों में होता है लिए जैसा कि नीचे देखा जा सकता है. इससे यह संकेत भी मिलता है कि जाति के कारण हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जेल में रखा जाने की संभावना अधिक होती है.

विमुक्त जनजातियों की गिरफ़्तारी के रुझान

गिरफ्तारियों में आश्चर्यजनक रूप से विमुक्त जनजातीय समुदायों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत ज्यादा है। यह गिरफ़्तारी रिकॉर्ड से संबंधित हमारे पिछले शोध की तुलना में भी ज्यादा है. गिरफ्तार लोगों में से 15.09% (3,126) विमुक्त जनजातीय समुदायों से थे, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तुलना में अधिक और ओबीसी से कम है। इस 15% में से, प्रशासनिक रूप से ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत विमुक्त जनजातीय समुदायों की गिरफ्तारी का प्रतिशत क्रमशः 8.31% (1,721), 5.96% (1,233) और 0.5% (104) रहा.

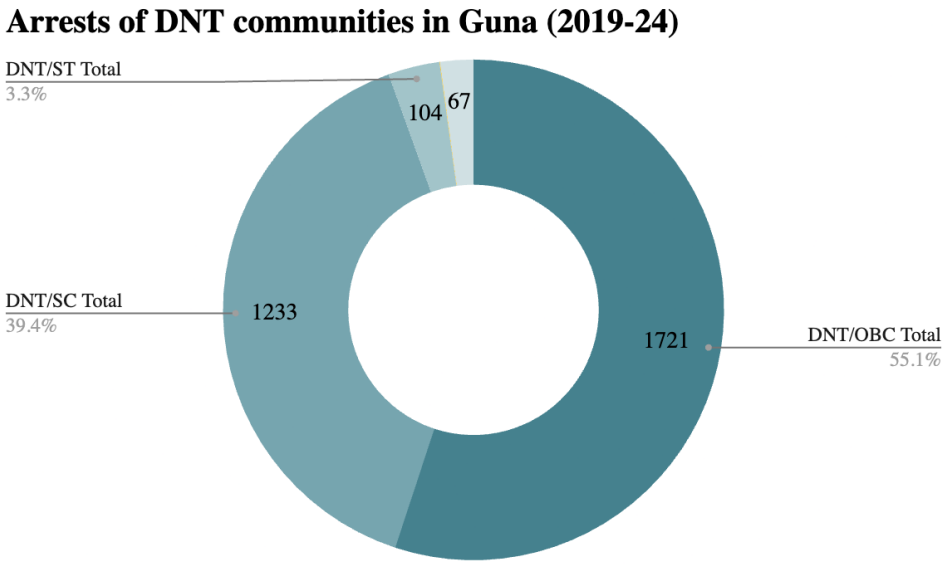

चित्र 5: *प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग विमुक्त जनजातीय समुदायों की गिरफ्तारियां, गिरफ्तार किए गए लोगों के उपनामों के विश्लेषण के आधार पर जिसका विवरण मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध था.*

विमुक्त जनजातीय समुदायों की कुल 3,126 गिरफ्तारियों में से, इसकी प्रत्येक श्रेणी से की गई गिरफ्तारियों पर बारीक नज़र डालने से पता चलता है कि इनमें से 55% गिरफ़्तारियाँ ओबीसी के रूप में वर्गीकृत डीएनटी समुदायों की गईं और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य रूप से दो समुदायों, बंजारा और लोधा समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के सबसे ज्यादा निशाने पर बंजारा समुदाय रहा और डीएनटी समुदायों में 28.6% गिरफ़्तारियाँ इस समुदाय से की गईं, जबकि लोधा समुदाय से 16.4% गिरफ़्तारियाँ हुईं.

कुल 3,126 गिरफ्तारियों में से 39.4% (1,233) गिरफ्तारियां डीएनटी - एससी समुदायों से हैं. इनमें से 17.17% (537) गिरफ्तारियां पारधी और 13.4% कंजर समुदाय से हैं। गिरफ्तार किए गए डीएनटी समुदाय के लोगों में से 3.3% डीएनटी/एसटी समुदायों से हैं। इसमें से 94% मोगिया समुदाय के लोग हैं।

आंकड़े यह साफ़ तौर पर बताते हैं कि बंजारा, लोधा और पारधी समुदाय पुलिस कार्रवाई का निशाना ज्यादा बनते हैं। 2011 की जनगणना[35] के अनुसार, राज्य की कुल 1,13,42,320 आबादी में से पारधी समुदाय की संख्या सिर्फ 26,793 (0.2%) है। पारधियों को केवल 16 जिलों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।[36] गुना जिले में उनकी आबादी आनुपातिक रूप से ज्यादा है और जिले की 12,40,938 की कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 2,709 (0.21%) है। लेकिन गुना में गिरफ्तार किए गए लोगों से 2.6% पारधी हैं जो आनुपातिक रूप से उनकी आबादी से 11 गुना अधिक है। इसी तरह, कंजर जो गुना जिले की कुल जनसंख्या का 0.1% हैं, लेकिन 2% गिरफ्तारी के साथ पुलिस डेटा में इनका प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा है। इसके अलावा, गुना की आबादी में 0.005% की संख्या वाले कुचबंधिया समुदाय के गिरफ्तार लोगों का प्रतिशत पुलिस डेटा के अनुसार 0.03% है।

नीचे के टेबल से यह पता चलता है कि गुना में डीएनटी/एससी की जनसंख्या के अनुपात में उनकी गिरफ्तारियाँ अधिक हो रही हैं। इन आंकड़ों को गुना में इन समुदायों की कुल जनसंख्या के संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। ज़िले की कुल आबादी (12,40,938) में कंजर समुदाय की संख्या 1,586 (0.13%) है. लेकिन गिरफ़्तारी रिकॉर्ड में कंजर समुदाय की संख्या 2% है, जो उनकी जनसंख्या के

35 भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, 'ए-10 परिशिष्ट: जिलावार अनुसूचित जाति जनसंख्या (परिशिष्ट), मध्य प्रदेश - 2011' (भारत की जनगणना, 30 मई 2022) https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/42902 8 फरवरी 2025 को देखा गया।

36 मध्य प्रदेश राज्य एससी और एसटी सूची के अनुसार पारधी समुदाय का प्रशासनिक वर्गीकरण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ प्रखंडों में भी अलग-अलग है. पारधी समुदाय को 16 जिलों - भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. वहीं कई अन्य जिलों और जिलों के विभिन्न ब्लॉक और तहसीलों में ये अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत हैं. इनमें शामिल हैं: छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी और सिवनी जिला; बालाघाट जिले की बैहर तहसील; बैतूल जिले की बैतूल, भैंसदेही और शाहपुर तहसील; जबलपुर जिले की पाटन तहसील और सिहोरा एवं मझोली ब्लॉक; कटनी जिले की कटनी (मुरवारा) और विजया राघौगढ़ तहसील एवं बहोरीबंद और देहमेरखेड़ा ब्लॉक; होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया और बनखेड़ी तहसील एवं केसला ब्लॉक; नरसिंहपुर जिला और खंडवा जिले की हरसूद तहसील.

अनुपात से 15 गुना अधिक हैं. इसी तरह ज़िले की कुल आबादी में 0.22% का योगदान करने वाले पारधी समुदाय की संख्या पुलिस डेटासेट में लगभग 2.6% है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात से 11 गुना अधिक हैं. कुचबंधिया और बागड़ी समुदाय गुना की आबादी का क्रमशः 0.01% और 0.07% हैं, लेकिन गिरफ़्तारी रिकॉर्ड में उनकी संख्या आबादी में उनकी हिस्सेदारी से 3 गुना अधिक, क्रमशः 0.03% और 0.21%, है. डीएनटी/एससी का यह अधिक प्रतिनिधित्व, जिले में इन समुदायों को समग्र रूप से अपराधी माने जाने के सोच के बारे में चिंताएं पैदा करता है.

श्रेणी	समुदाय	गिरफ्तारी	गिरफ्तारी %	आबादी	आबादी %	अधिक-प्रतिनिधित्व (गिरफ्तारी/जनसंख्या)
डीएनटी/एससी	कंजर	418	2.02	1,586	0.13	15.54
एसटी	खैरुआ	58	0.28	207	0.02	14
एनटी/एससी	पारदी (पारधी), शिकारी	537	2.59	2,709	0.22	11.81
डीएनटी/एससी	कुचबंदिया (कुचबंदिय, कुचवदिया, कुचवंदिया)	7	0.03	66	0.01	3
डीएनटी/एससी	बागडी (बागरी)	43	0.21	927	0.07	3
एसटी	गौंड, गौड	104	0.50	2,953	0.24	2.08
एससी	भंगी, मेहतर, बाल्मिकी (बालमीक, बाल्मीकि), वालमिक (वाल्मिक, वाल्मिकी, वाल्मीक, वाल्मीकि)	270	1.30	11,626	0.94	1.38

टेबल 4: *यह तालिका मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ समुदायों की उनकी जनसंख्या के मुकाबले अधिक गिरफ्तारियों को दर्शाती है. गिरफ्तारी का आंकड़ा मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को दर्ज गिरफ्तारी रिकॉर्ड और आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार है.*

4. गिरफ्तारियां कैसे की जाती है?

अ. विभिन्न प्रकार के अपराध

कुल गिरफ्तारियों में से 99.75% में संज्ञेय अपराधों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। लगभग 51% गिरफ्तारियाँ जमानती अपराधों से संबंधित हैं। अन्य 8.8% को जमानती या गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ऐसा काफी हद तक इस कारण था क्योंकि जिन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया उनमें किसी उपधारा का विवरण, जिसके आधार पर अपराध का वर्गीकरण किया जाता है, नहीं था. इन गिरफ्तारियों का एक बड़ा हिस्सा यह दर्शाता है कि ये गिरफ्तारियाँ (कुल 1,806) पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी और थाना स्तर पर जमानत देने से संबंधित व्यापक विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती हैं जैसा कि जमानती अपराधों में संभव है। गैर-जमानती अपराधों से संबंधित 8400 गिरफ्तारियों में से 21.7% गिरफ्तारियाँ आबकारी कानून, चोरी, घर में सेंधमारी के साथ गंभीर चोरी और डकैती के दौरान चोट पहुँचाने से सम्बंधित है । मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) (615 गिरफ्तारियाँ) और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 (548 गिरफ्तारियाँ) के तहत केवल 3 वर्ष तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है फिर भी इन्हें गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही ये गौण अपराधों के दायरे में आते हों। इन अपराधों में विमुक्त जनजातियों को आरोपी बनाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि इन समुदायों को डकैती और पारंपरिक शराब के मामलो में ऐतिहासिक रूप से जोड़ा गया है, जो डेटा सेट में इन मामलों की बड़ी संख्या को स्पष्ट करता है।

विभिन्न समुदायों के खिलाफ जमानती और गैर-जमानती अपराधों के तहत मामलों की संख्या काफी अलग-अलग है। गैर-जमानती अपराधों से संबंधित 40.6% गिरफ्तारियों में से सबसे अधिक डीएनटी-एससी समुदाय और उसके बाद मुस्लिम ओबीसी एवं डीएनटी-एसटी समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा तब है जबकि एससी और एसटी के अन्य समुदायों में गैर-जमानती अपराधों की औसत संख्या कुल संख्या से कम है। एएसआई (अपराध जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सकता) के तहत दर्ज मामलों पर भी बारीकी से ध्यान दिए जाने की ज़रुरत है क्योंकि इसके तहत विशेष रूप से एससी, ओबीसी और एसटी समुदायों के रूप में वर्गीकृत डीएनटी समुदायों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

इसके अलावे, गैर-जमानती अपराधों के तहत डीएनटी/एससी समुदायों में हुई गिरफ्तारियों के तफ़सील से विश्लेषण करने से पता चला कि 23% गिरफ्तारियां आबकारी अपराधों, 9% घर से चोरी, 6.8% शस्त्र अधिनियम और साधारण चोरी से संबंधित अपराधों के लिए हुईं, जो कि कुल गिरफ्तारियों का 45.6% हैं.

श्रेणी	एएसआई	जमानती	गैर-जमानती
एससी	8.88%	54.46%	36.66%
एसटी	11.53%	48.69%	39.78%
ओबीसी	7.52%	53.62%	38.86%
ओबीसी मुस्लिम	6.25%	40.63%	53.13%
सामान्य	6.98%	49.70%	43.32%
डीएनटी/एसटी	7.69%	41.35%	50.96%
डीएनटी/एससी	15.82%	17.84%	66.34%
डीएनटी/ओबीसी	12.09%	53.28%	34.63%
एनटी/ओबीसी	7.46%	46.27%	46.27%
अवर्गीकृत	6.31%	42.57%	51.13%
संभवतः हाशिए पर	6.29%	46.15%	47.55%
संभवतः सामान्य	7.00%	52.29%	40.71%
0	7.24%	66.62%	26.14%
कुल जोड़	**8.79%**	**50.64%**	**40.57%**

टेबल 5: *जाति और जनजातीय समुदायों में जमानती और गैर-जमानती अपराधों के तहत की गई गिरफ्तारियां, आंकड़े मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार.*

2014 में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा अंधाधुंध और अनियंत्रित गिरफ्तारियां पर अपनी टिप्पणी में '*अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य*[37] मामले के *दिश-निर्देशों* के अनुरूप गिरफ्तारी के उचित कारणों को सुनिश्चित करने को कहा है। सात साल तक की सजा वाले हर अपराध के लिए, एक चेकलिस्ट तैयार कर जमा करना ज़रूरी है, ताकि कोर्ट इसकी जांच कर सके कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक थी. अदालत ऐसा इस मूल्यांकन के आधार पर करती है कि क्या गिरफ्तार व्यक्ति साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या दूसरों को उकसा सकता है, क्या गिरफ्तार कर मजबूर किए जाने के बिना वह अदालत में पेश नहीं होगा या क्या भविष्य में उसे अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तारी ज़रूरी है? हालाँकि, हमारी पिछली कई रिपोर्ट[38] में यह पाया गया है कि इन निर्देशों का

37 देखें टिप्पणी 12

38 'वाइल्डलाइफ पुलिसिंग: द रीन ऑफ़ क्रिमिनलायजेशन इन द फॉरेस्ट्स ऑफ़ मध्य प्रदेश (वन्यजीव पुलिसिंग: मध्य प्रदेश के जंगलों में अपराधीकरण का राज)' (सीपीए प्रोजेक्ट, 2022) पृष्ठ 104 https://cpaproject.in/wp-content/uploads/2023/02/WPA-FINAL-DRAFT.pdf 24 फ़रवरी, 2025 को देखा गया. देखें टिप्पणी 7

नियमित उल्लंघन किया जाता है. ऐसा चेकलिस्ट जमा नहीं कर या गैर-तर्कसंगत या असावधानी से तैयार चेकलिस्ट, जिसमें इन मामलों से जुड़ी विशेष परिस्थितियों का कोई विवरण नहीं होता है, किया जाता है. हमने जिन गिरफ्तारियों का अध्ययन किया है उनके मामलों में भी यह बात सच है क्योंकि 73% मामले कम-गंभीर अपराधों के हैं जिनमें गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं हैं. अन्य 4% मामलों को कम-गंभीर अपराधों की उप-धाराओं और उनकी गंभीर परिस्थितियों के बीच अस्पष्टता के कारण वर्गीकृत नहीं किया जा सका। इस तरह दंड प्रक्रिया के औपचारिक दायरे में आने वाले 77% मामलों में गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं थी।

कुल 20,705 अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए 14,081 व्यक्तियों में से 11,332 व्यक्तियों (कुल गिरफ्तारी का 80.5%) को पांच साल में एक बार ही गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अन्य 10.7% व्यक्तियों की इस अवधि के दौरान केवल दो बार गिरफ्तारी हुई थी। इससे *अर्नेश कुमार* मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित सवाल खड़े होते हैं। ये दोनों निष्कर्ष *'सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य'*[39] मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को पुख्ता करते हैं। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 और 41ए, जिनमें गिरफ्तारी से जुड़ी अनिवार्यताएं शामिल हैं, के नियमित उल्लंघन की बात कही थी और विभिन्न राज्यों से इसका अनुपालन करने को कहा था।

Times an individual was arrested (2019-2024)

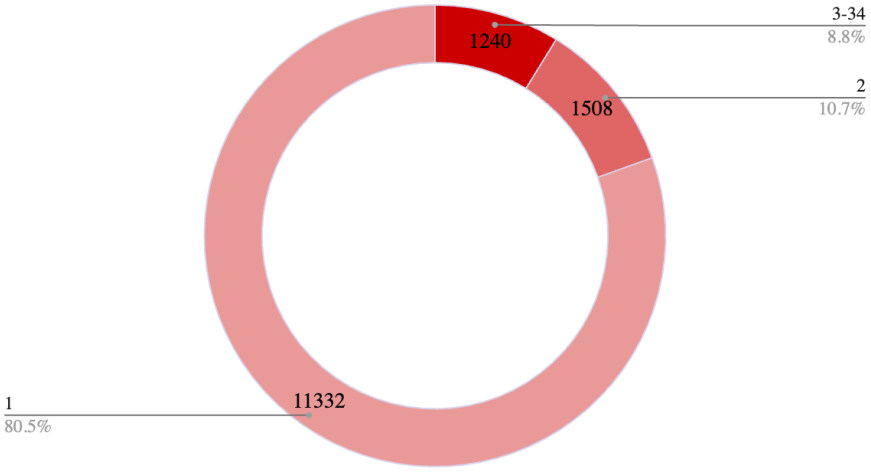

चित्र 6: *चार्ट में यह दिखाया गया है कि सभी 20,705 गिरफ्तारियों में गिरफ्तार किए गए लोग अध्ययन अवधि के 5 वर्षों के दौरान कितनी बार गिरफ्तार किए गए थे, गिरफ्तारी के रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं.*

39 सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, 2022 10 एससीसी 51.

ब. विभिन्न पुलिस स्टेशनों की कार्रवाइयां

जैसा कि पहले बताया गया है, जिले के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा की गई गिरफ्तारियों की संख्या, उनके अधिकार क्षेत्र और उनके पास उपलब्ध संसाधनों में काफी भिन्नता है। चाहे यह इससे जुड़ा हो अथवा नहीं, लेकिन अलग-अलग जिलों में गिरफ्तार किए गए समुदायों और उन पर आरोपित अपराधों की प्रकृति में ऐसी ही भिन्नता है।

जैसा कि चित्र 7 में दर्शाया गया है, हालांकि हाशिए के समुदायों को सभी पुलिस स्टेशनों द्वारा उच्च अनुपात में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन समुदाय विशेष की गिरफ्तारी बहुत ही स्थानीय मामला होता है. ओबीसी की लगातार उच्च अनुपात में गिरफ्तारियों में से 40% (2,693) गिरफ्तारियाँ सिर्फ़ तीन पुलिस स्टेशनों - आरोन, कुंभराज और चाचौड़ा द्वारा की गईं. जबकि सिरसी में, अनुसूचित जनजातियों की गिरफ्तारियों की संख्या ओबीसी समुदायों की तुलना में अधिक हैं.

ओबीसी के बाद अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किया गया। आरोन, गुना, गुना कोतवाली और राघौगढ़ - इन 4 पुलिस स्टेशनों द्वारा एससी समुदाय की कुल गिरफ्तारियों में से 60% लोगों की गिरफ्तार हुई. राघौगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लोगों को सबसे ज़्यादा गिरफ्तार किया गया। वहीं, गुना कोतवाली और गुना द्वारा प्रभावी उच्च जाति के लोगों की गिरफ्तारियां सबसे ज़्यादा हुईं.

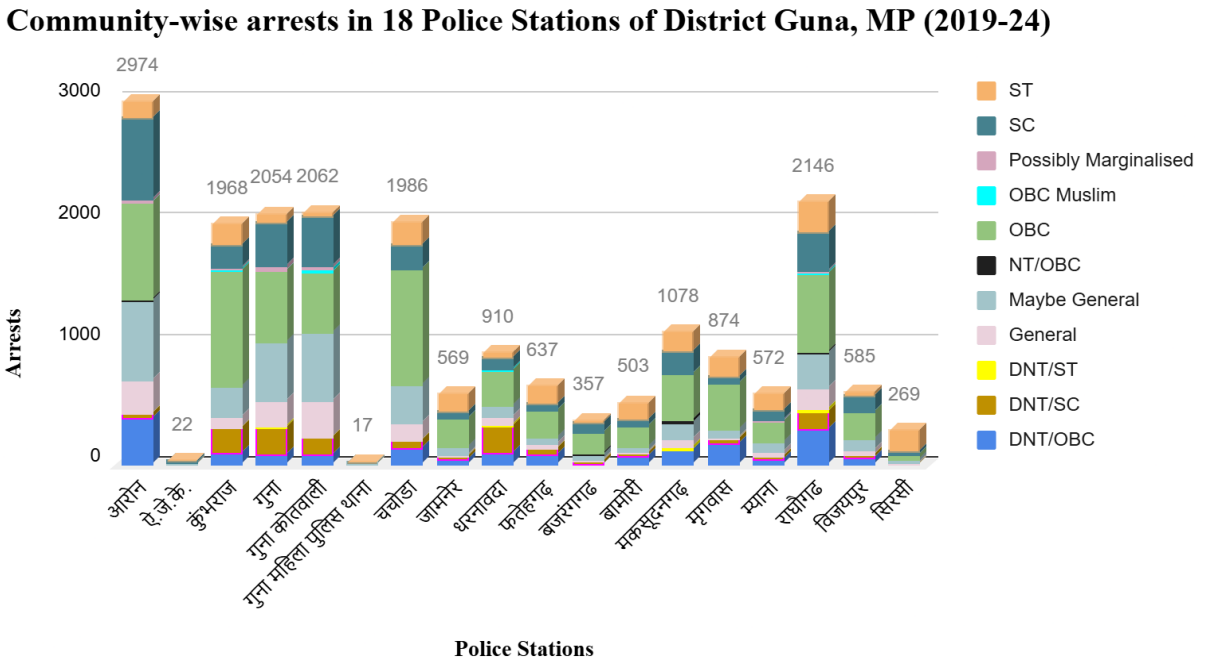

चित्र 7: *गिरफ्तार लोगों के उपनाम के आधार पर पुलिस स्टेशनों द्वारा समुदाय-वार गिरफ्तारियों की अलग-अलग गिनती (ग्राफ में वे गिरफ्तारियां शामिल नहीं हैं जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया जा सका या जिनमें कोई उपनाम नहीं है). गिरफ्तारी के रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैं.*

गुना के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों द्वारा गिरफ्तार डीएनटी समुदायों के व्यक्तियों का प्रतिशत चित्र 8 में उपलब्ध है. धरनावदा में तो कुल गिरफ्तारियों में से 35.7% गिरफ्तारियां डीएनटी समुदायों की हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है. ऐसा पूरे जिले में उनकी छोटी आबादी के बावजूद है. डीएनटी-एसटी समुदायों की 60.5% गिरफ्तारियाँ दो पुलिस स्टेशनों - मकसूदनगंज और राघौगढ़ से संबंधित हैं. डीएनटी-एससी समुदायों के खिलाफ की गई 50% से अधिक गिरफ्तारियाँ तीन पुलिस स्टेशनों- धरनावड़ा, कुंभराज और गुना और 25% दो अन्य पुलिस स्टेशनों से की गईं. इसी तरह डीएनटी-ओबीसी लोगों की 63.6% गिरफ्तारियां पाँच पुलिस स्टेशनों द्वारा की गईं.

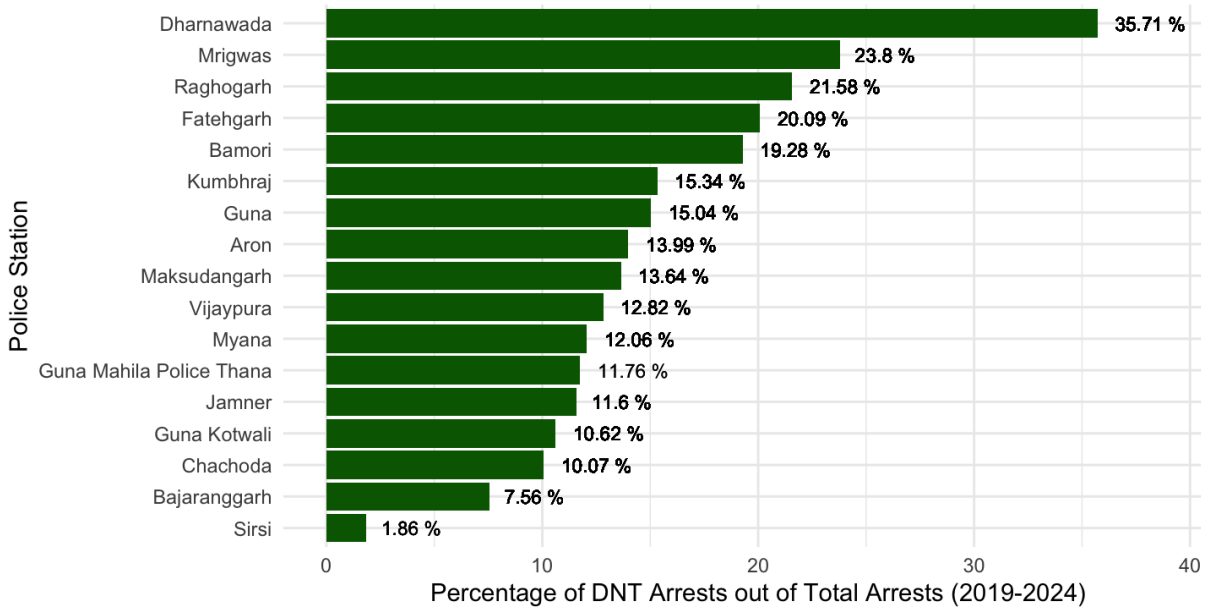

चित्र 8: *गुना के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों द्वारा डीएनटी समुदायों के व्यक्तियों की गिरफ्तारियों का प्रतिशत, आंकड़े मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार.*

विभिन्न पुलिस स्टेशनों की कार्रवाइयों के बीच के अंतर को जमानती और गैर-जमानती अपराधों के आधार पर और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है (चित्र 9). दो पुलिस स्टेशनों - एजेके और गुना महिला पुलिस स्टेशन द्वारा केवल गैर-जमानती अपराधों से संबंधित गिरफ्तारियां की गईं. ऐसा इस कारण हैं क्योंकि ये दोनों पुलिस स्टेशन विशेष रूप से महिलाओं और एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ होने वाले अपराधों का पर्यवेक्षण करते हैं, जहां इन अपराधों को उनकी प्रकृति के कारण स्वयं कानून द्वारा गैर-जमानती अपराध माना जाता है. कुंभराज, राघौगढ़, विजयपुर और सिरसी - इन 4 पुलिस स्टेशनों द्वारा गैर-जमानती अपराधों में 30% से कम गिरफ्तारियां की गईं, जो जिला स्तर के औसत (40.57%) से बहुत कम है. अन्य 5 पुलिस स्टेशनों, आरोन, चाचौड़ा, बामोरी, मकसूदनगंज, मृगवास, द्वारा भी गैर-जमानती अपराधों में जिला स्तर के औसत से कम 30-40% गिरफ्तारियां की गईं.

इन पुलिस स्टेशनों द्वारा जमानती अपराधों के तहत की गई गिरफ्तारियों की उच्च संख्या की तुलना खास उत्पीड़ित जाति और आदिवासी समुदायों की उच्च गिरफ्तारी दर के साथ करने पर, यह स्पष्ट रूप सामने आता है कि किस तरह से छोटे-मोटे अपराधों के लिए गिरफ्तारियों का इस्तेमाल इन समुदायों पर नज़र रखने और इनके अपराधीकरण के लिए किया जाता है. इसका एक उल्लेखनीय अपवाद धरनावदा पुलिस स्टेशन है, जहाँ गैर-जमानती अपराधों के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारियां की गईं जिनमें डीएनटी समुदायों के व्यक्तियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व है. हालांकि इन आंकड़ों के आधार पर हम सहज रूप से इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि यह क्षेत्र में होने वाली आपराधिक गतिविधियों का आईना है, लेकिन गिरफ्तारियों की संख्या की बात करें तो ये आरोन या राघोगढ़ जैसे पुलिस स्टेशनों में होने वाली गिरफ्तारियों से काफी कम हैं. धरनावड़ा में की गई कुल गिरफ़्तारियों 934 में से डीएनटी समुदायों की संख्या 325 है. आरोन और राघोगढ़ में, ये गिरफ़्तारियाँ 3,214 में 416 और 2265 में 463 हैं. हालाँकि, इन दोनों पुलिस स्टेशनों में जमानती अपराधों की संख्या औसत से अधिक है, जो कि गिरफ्तारी पैटर्न के अनुरूप ही है. म्याना और बजरंगगढ़ में, जहाँ भी गैर-ज़मानती अपराधों के तहत औसत से ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, डीएनटी समुदायों की गिरफ़्तारियाँ कम हैं (चित्र 8). धरनावदा का अपवाद गैर-जमानती अपराधों में हुई गिरफ्तारियों के संबंध में और भी अधिक विरोधाभासी है क्योंकि यह बाकी के आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है. कानून-व्यवस्था और जातिगत वास्तविकताओं की स्थानीय प्रकृति को देखते हुए, इससे यहां पुलिस की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े होते हैं.

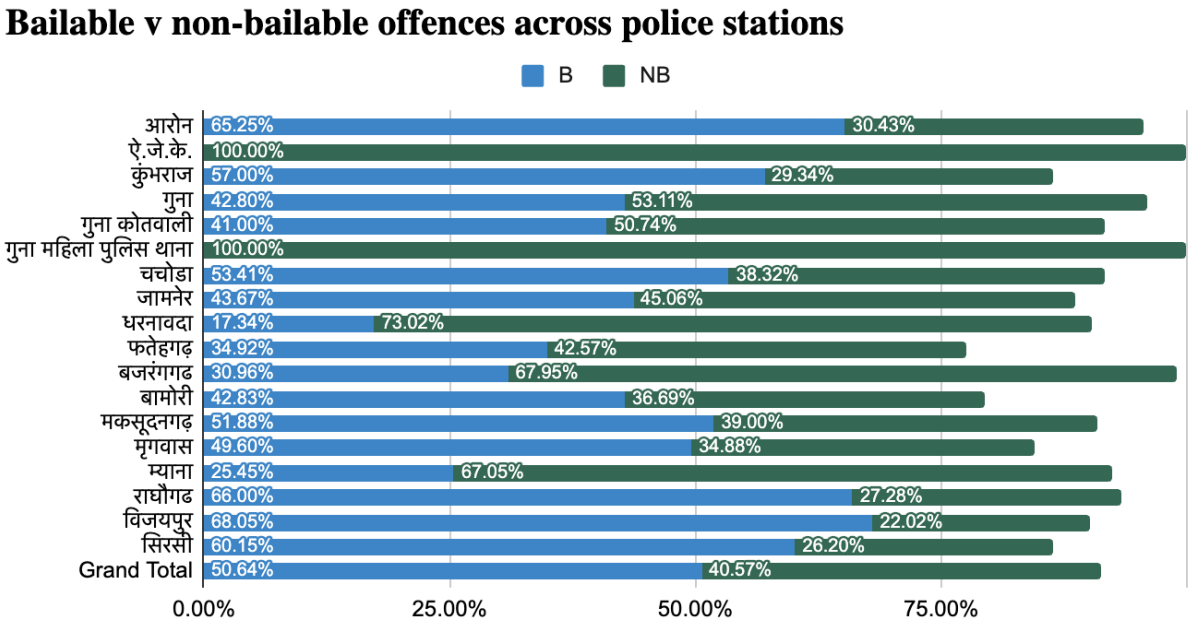

चित्र 9: *विभिन्न पुलिस थानों द्वारा जमानती और गैर-जमानती अपराधों के तहत की गई गिरफ्तारियों का प्रतिशत (इनमें वे अपराध शामिल नहीं जिन्हें किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सका), आंकड़े मध्य प्रदेश पुलिस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार.*

निष्कर्ष

यह अध्ययन लोगों को हैरान-परेशान करने वाले रोज़मर्रा की पुलिसिंग को सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास है. इसमें अपने निजी जीवन में लगातार पुलिस का सामना करने वाले उत्पीड़ित समुदायों के अनुभवों को शामिल किया गया है. इसमें बताया गया है कि पुलिस किसे, कब और क्यों गिरफ्तार करती है और किस अपराध के लिए ऐसा करती है. बहुत ज्यादा गिरफ्तारियाँ, इनमें उत्पीड़ित समुदायों - विशेष रूप से विमुक्त जनजातियों की अनुपातहीन हिस्सेदारी और पुलिस स्टेशनों के बीच भिन्नता - ये सभी पुलिस कार्यप्रणाली के अन्यायपूर्ण और गैर-जवाबदेह तौर-तरीकों को सामने लाते हैं. अपराधीकरण के स्थानीय स्वरूप के बावजूद, जिला स्तर के आंकड़ों के अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है कि अनुसूचित जाति या जनजाति जैसी समरूप प्रशासनिक श्रेणियों से परे, विशिष्ट समुदाय और राज्य-सत्ता एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं. साथ ही इस अध्ययन से यह जानकारी भी मिलती है कि वे किसी विशिष्ट स्थिति या संदर्भ में अपराधीकरण से कैसे निपटते हैं. एक ओर, इससे हमें गिरफ्तारी चेकलिस्ट या जमानती और गैर-जमानती अपराधों के बीच अंतर जैसे प्रक्रिया संबंधी मानदंडों को देखने-समझने का मौका मिला, जिनके साथ सामान्य तौर पर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ की जाती है. पुलिस द्वारा छेड़छाड़ किए जाने संबंधी तथ्य हमें राज्य-स्तरीय आंकड़ों का अध्ययन करने वाली पहले की रिपोर्ट्स में भी मिले थे. दूसरी ओर, इससे हमें पुलिस स्टेशन स्तर पर मौजूद गिरफ्तारी के आंकड़ों में भिन्नता को समझने और अत्यधिक गिरफ्तारियों का अधिक बारीक अध्ययन करने का अवसर भी मिला.

इन बहुआयामी तरीकों के जरिए, हमने अपराध और पुलिस से संबंधित उन प्रचलित रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती दी है जो हाशिए पर पड़े समुदायों को अपराध में लिप्त मानते हैं. साथ ही इसके जरिए हमने व्यवस्था की उस स्वाभाविक अकुशलता को दर्शाया है जिसके तहत बहुत कम पर्यवेक्षण किया जाता है और जो इन धारणाओं को कायम रखने में योगदान देता है. जवाबदेही और नियंत्रण के बिना, हिरासत में हिंसा की बहुत गंभीर घटनाओं को पूरी तरह तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि पुलिस कार्यप्रणाली संबंधी प्रचलित धारणाओं में आमूलचूल परिवर्तन न हो. आपराधिकता का कलंक अभी भी विमुक्त जनजातीय समुदायों को परेशान कर रहा है और हालात ऐसे हैं कि इस समुदाय के किसी व्यक्ति की हिरासत में मौत भी उन्हें संवैधानिक अधिकारों वाले नागरिक के रूप में सुरक्षा और मुआवजा नहीं दिला सकती है.

अनुलग्नक

चित्र 4 के लिए आंकड़े

श्रेणी	कुल गिरफ्तारी
0	677
डीएनटी/ओबीसी	1,721
डीएनटी/एससी	1,233
डीएनटी/एसटी	104
सामान्य	1,519
संभवतः सामान्य	3,213
एनटी/मुस्लिम/ओबीसी	1
एनटी/ओबीसी	67
ओबीसी	6,706
ओबीसी मुस्लिम	64
संभवतः हाशिए पर	143
एससी	2,905
एसटी	1,908
अवर्गीकृत	444
कुल जोड़	**20,705**

चित्र 6 के लिए आंकड़े

प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट गिरफ्तारियों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
34	1
26	2
25	1
24	3
23	2
22	3
21	2
20	2
19	1
18	6
17	4
16	8
15	11
14	4
13	5
12	11
11	25
10	19
9	25
8	38
7	59
6	98
5	130
4	254
3	526
2	1,508
1	11,332
कुल जोड़	**14,080**

चित्र 7 और 8 के लिए आंकड़े

थाना	0	डीएनटी/ओबीसी	डीएनटी/एससी	डीएनटी/एसटी	सामान्य	संभवतः सामान्य	एनटी/ओबीसी	ओबीसी	ओबीसी मुस्लिम	संभवतः हाशिए पर	एससी	एसटी	अवर्गीकृत	कुल योग
आरोन	197	375	41		272	657	13	795	2	19	673	127	43	3,214
ऐ.जे.के.					4	6		9			3			22
कुंभराज	23	95	205	2	96	242	2	955	4	16	185	166	36	2,028
गुना	106	73	224	12	217	477	3	582	9	29	356	72	62	2,222
गुनाकोतवाली	112	76	141	2	302	556	2	495	29	33	397	29	126	2,300
गुनामहिला पुलिसथाना			2		1	5		4			2	3	2	19
चचोडा	60	135	59	6	145	309	2	943	3	5	193	186	34	2,080
जामनेर	7	44	17	5	19	64	1	232		2	51	134	1	577
धरनावदा	9	87	226	12	68	93	3	286	4	7	83	41	15	934
फतेहगढ़	6	84	44		48	51	2	219		1	54	134	10	653
बजरंगगढ	3	6	21		16	40	4	172			75	23	5	365
बामोरी	28	68	29		12	33	1	171		1	57	131	6	537
मकसूदनगढ़	4	117	4	26	68	130	16	377	1	4	189	146	36	1,118
मृगवास		177	31		16	60		383	1	2	49	155	9	883
म्याना	23	35	32	2	34	78	2	175		3	82	129	18	613
राघौगढ	86	291	135	37	158	291	11	649	8	18	304	244	33	2,265
विजयपुर	12	55	20		37	98	1	218	3	3	121	29	7	604
सिरसी	1	3	2		6	23	4	41			31	159	1	271
कुल जोड़	**677**	**1,721**	**1,233**	**104**	**1,519**	**3,213**	**67**	**6,706**	**64**	**143**	**2,905**	**1,908**	**444**	**20,705**

चित्र 9 के लिए आंकड़े

थाना	एएसआई (% में)	एएसआई (% में)	जमानती अपराध (% में)	जमानती अपराध (% में)	गैर-जमानती अपराध (% में)	गैर-जमानती अपराध (% में)	पुलिस स्टेशन में कुल गिरफ्तारियां
आरोन	4.32	139	65.25	2097	30.43	978	3,214
ऐ.जे.के.					100.00	22	22
कुंभराज	13.66	277	57.00	1156	29.34	595	2,028
गुना	4.10	91	42.80	951	53.11	1180	2,222
गुनाकोतवाली	8.26	190	41.00	943	50.74	1167	2,300
गुनामहिला पुलिसथाना					100.00	19	19
चचोडा	8.27	172	53.41	1111	38.32	797	2,080
जामनेर	11.27	65	43.67	252	45.06	260	577
धरनावदा	9.64	90	17.34%	162	73.02	682	934
फतेहगढ़	22.51	147	34.92	228	42.57	278	653
बजरंगगढ	1.10%	4	30.96	113	67.95	248	365
बामोरी	20.48	110	42.83	230	36.69	197	537
मकसूदनगढ़	9.12%	102	51.88%	580	39.00	436	1,118
मृगवास	15.52%	137	49.60	438	34.88	308	883
म्याना	7.50%	46	25.45	156	67.05	411	613
राघौगढ	6.71%	152	66.00	1495	27.28	618	2,265
विजयपुर	9.93%	60	68.05	411	22.02	133	604
सिरसी	13.65%	37	60.15	163	26.20	71	271
कुल जोड़	**8.79%**	**1,819**	**50.64**	**10,486**	**40.57**	**8,400**	**20,705**